भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2966
12 मार्च, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बर्ड फ्लू के बारे में जागरूकता

2966 श्री किशन कपूर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्ड फ्लू जैसी महामारी के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं: और
(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)</u>

(क) और (ख): बर्ड फ्लू एक प्राणीजन्य रोग होने के कारण, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मात्स्यिकी (डीएडीएफ) विभाग द्वारा वर्ष 2021 में एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण एवं कंटेनमेंट हेतु एक कार्य योजना जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, बर्ड फ्लू जैसी महामारी के बारे में जागरूकता का सृजन करने और बर्ड फ्लू के प्रसार को रोकन के लिए पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग द्वारा किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- शीतकाल में प्रवासी पक्षियों के आगमन के कारण शीतकाल के आरंभ होने से पहले मुर्गीपालन फार्म में निगरानी और जैव सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी की गई।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कार्य योजना के अनुसार बर्ड फ्लू के नियंत्रण तथा उसे सीमित रखने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें जल निकायों, लाइव बर्ड मार्केट्स, चिड़ियाघर, मुर्गीपालन फार्म इत्यादि, के आस-पास निगरानी बढ़ाना, शव का उचित निपटान, मुर्गीपालन फार्म के भीतर और

आसपास जैवसुरक्षा का सुदृढ़ीकरण, प्रभावित क्षेत्रों से मुर्गी की प्रतिबंधित आवाजाही और प्रारंभिक उपाय अर्थात् नियंत्रण हेतु अपेक्षित पीपीई किटों, अन्य सहायक सामग्रियों, कीटाणुनाशकों और पर्याप्त भण्डार का रख-रखाव एवं संभारतंत्र शामिल हैं।

- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए निवारक और नियंत्रण उपायों की दैनिक प्रगति की निगरानी करने हेतु केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सहयोग करके तैयारी की स्थिति का मूल्यांकन करने और अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पशुपालन और स्वास्थ्य विभागों के साथ बैठकें आयोजित की गई ।
- रोग के मानव शरीर में प्रवेश करने की किसी भी संभावना से बचने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को रोग की स्थिति की सर्तकतापूर्वक निगरानी हेतु स्वास्थ्य और वन प्राधिकारियों के साथ समन्वय और प्रभावी संचार को सुनिश्चित करने का अनुरोध करना।
- राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निगरानी, जागरूकता सृजन, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) की खरीद, नियंत्रण और कंटेनमेंट कार्यों, जिन पोल्ट्री फार्मा के पक्षी अलग किए गए है या अंडे तथा पोल्ट्री चारा नष्ट किया गया है उन्हें क्षतिपूर्ति करने, बर्ड फ्लू पर पोल्ट्री फार्मर और आम जनता को फेसबुक/ ट्विटर आदि सहित विभिन्न सामाजिक मीडिया मंचों के माध्यम से सुग्राहिता तथा जागरूकता सृजन के लिए निधियों का प्रावधान किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर, 2005 में मनुष्य में एवियन इन्फ्लूएंजा के मामलों के प्रबंधन हेतु एक आकस्मिक योजना विकसित तथा जारी की गई है। इस योजना में मनुष्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा के मामलों की परिभाषा, एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव मामलों से नमूना एकत्रित करने हेतु दिशानिर्देश, क्यूलर और कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए दिशानिर्देश और मामले के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग तथा समुदाय के लिए डूज एण्ड डाँट्स शामिल हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा बर्ड फ्लू के प्रकोप के दौरान मुर्गी के मांस और अण्डों का सुरक्षित प्रबंधन, प्रसंस्करण और सेवन संबंधी एक विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किया गया है।

*****